



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233052
CG-DL-E-01022022-233052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]
No. 87]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सं. 13/2022 – सीमाशुल्क

सा.का.नि. 87 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णित माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित किए गए हैं, जब वह भारत में आयात किए जाते हैं, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्बहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा-विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों के अध्याधीन, उस शर्त संख्या को जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित है, छूट देती है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8506 50 00	स्मार्ट मीटरों में उपयोग के लिए बैटरी	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
			10%	1 और 7
2.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
3.	8517 69 90	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए संचार माँड्यूल	शून्य	1 और 4
			शून्य	1 और 5
			5%	1 और 6
			10%	1 और 7
4.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 3 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
5.	8517 71 00	स्मार्ट मीटरों के विनिर्माण में उपयोग के लिए एन्टीना	शून्य	1 और 4
			शून्य	1 और 5
			5%	1 और 6
			10%	1 और 7
6.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
7.	8524 11 00 या 8524 91 00	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए एलसीडी के लिए तरल क्रिस्टल प्रदर्श (एलसीडी) या पृष्ठ भाग प्रकाश	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6
			10%	1 और 7
8.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
9.	8536 49 00	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए रिले	5%	1 और 4
			10%	1 और 5
			10%	1 और 6
			15%	1 और 7
10.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
11.	9028 30 10	स्मार्ट मीटर	15%	2
12.	9028 90 10	स्मार्ट मीटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्रिन्टेड	20%	1 और 3

		सर्किट बोर्ड समुच्चय (पीसीबीए)		
13.	कोई अध्याय	क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3

उपाबंध

शर्त सं.	शर्त
1.	यदि आयातक सीमाशुल्क (शुल्क की रियायत दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है।
2.	तारीख 31 मार्च, 2022 तक विधिमान्य
3.	1 अप्रैल, 2022 से विधिमान्य
4.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य
5.	तारीख 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक विधिमान्य
6.	तारीख 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विधिमान्य
7.	1 अप्रैल, 2025 से विधिमान्य

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 13/2022-Customs

G.S.R. 87 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description as specified in column (3) of the Table below and falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as are specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the standard rate as specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to any of the conditions as specified in the Annexure to this notification, the Condition No. of which is mentioned in the corresponding entries in column (5) of the said Table.

TABLE

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Standard rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8506 50 00	Battery for use in Smart Meters.	Nil	1 and 4
			5%	1 and 5
			10%	1 and 6
			10%	1 and 7

2.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 1.	Nil	1 and 3
3.	8517 69 90	Communication module for use in manufacture of Smart Meters.	Nil	1 and 4
			Nil	1 and 5
			5%	1 and 6
			10%	1 and 7
4.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 3.	Nil	1 and 3
5.	8517 71 00	Antenna for use in manufacture of Smart Meters.	Nil	1 and 4
			Nil	1 and 5
			5%	1 and 6
			10%	1 and 7
6.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 5.	Nil	1 and 3
7.	8524 11 00 or 8524 91 00	Liquid Crystal Display (LCD) or Back light for LCD for use in manufacture of Smart Meters.	Nil	1 and 4
			5%	1 and 5
			10%	1 and 6
			10%	1 and 7
8.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 7.	Nil	1 and 3
9.	8536 49 00	Relay for use in manufacture of Smart Meters.	5%	1 and 4
			10%	1 and 5
			10%	1 and 6
			15%	1 and 7
10.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 9.	Nil	1 and 3
11.	9028 30 10	Smart Meters	15%	2
12.	9028 90 10	Printed Circuit Board Assembly (PCBA) for use in manufacture of Smart Meters.	20%	1 and 3
13.	Any Chapter	Inputs or parts or sub-parts for use in manufacture of items mentioned at S. No. 12.	Nil	1 and 3

ANNEXURE

Condition No.	Conditions
1.	If the importer follows the procedure specified in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.
2.	Valid up to 31 st March, 2022.
3.	Valid from 1 st April, 2022 onwards.
4.	Valid from 1 st April, 2022 up to 31 st March, 2023.
5.	Valid from 1 st April, 2023 up to 31 st March, 2024.
6.	Valid from 1 st April, 2024 up to 31 st March, 2025.
7.	Valid from 1 st April, 2025 onwards.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2022.

[F. No. 334/01/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.